

तारीख हुकम किस्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (डीग) पटवारी, पटवार मंडल..... कुँहरावाड़ा बनाम राजस्थान सरकार हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव जज संख्या:- 29/25 प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956 GCMS No- 2025/306	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए.
26.11.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल कुँहरावाड़ा द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्जे रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक 122/2025/3322 3 26/11/25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल कुँहरावाड़ा के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार डीग की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल कुँहरावाड़ा ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकै ग्राम भायोलडाग स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या 17 खसरा नं० 161/0-22 के काश्तकार गिरिधामिद पुत्र जयपाल हिस्सा जाति जाति निवासी भायोलडाग खातेदार राहिन हिस्सा 140 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोरे के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोरे दुरुस्त किया जावे।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार डीग की स्पष्ट अभिशप्ता के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकै ग्राम भायोलडाग स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या 17 खसरा नं० 161/0-22 के काश्तकार गिरिधामिद पुत्र जयपाल हिस्सा 140 जाति जाति निवासी भायोलडाग खातेदार राहिन हिस्सा कोरे बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोरे के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोरे दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार डीग को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर रो कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	
(मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी डीग (जिला डीग)		